

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./नि:शक्तता/2018/157-66
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

दिनांक: 2-2-18

विषय:- पंडित दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर-2017 के अन्तर्गत 21 प्रकार की नि:शक्तताओं के प्रमाणीकरण किये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, के यू.ओ. नोट क्रमांक :- एफ 16(1) ()/पं.दी.द.वि.यो.शि./2017/19598-99 दिनांक 22.01.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण के संबंध में नयी अधिसूचना जारी कर दी गयी है तथा सॉफ्टवेयर में भी उसके अनुरूप सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है।

अतः इस संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर-2017 के अन्तर्गत 21 प्रकार की नि:शक्तता के प्रमाणीकरण का कार्य किया जाना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त/निदेशक(चि0 प्र0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./नि:शक्तता/2018/157-66

दिनांक: 2-2-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड व मेल कराना सुनिश्चित करें।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(चि0 प्र0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर